न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर ।
पीठासीन अधिकारी–सतेन्द्र कुमार, उच्चतर न्यायिक सेवा।

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 1076 सन 2026
CNR. No.UPSP010032262026

अंकित पुत्र राजकुमार, निवासी नन्हेडा खुर्द, थाना बडगांव, जिला सहारनपुर।
.....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उ0प्र0 राज्य। **.....विपक्षी।**

मु.अ.सं. 44/2026
धारा 324(4),109(1),115(2), 54 बी.एन.एस
थाना बडगांव, जिला सहारनपुर।

निस्तारण जमानत प्रार्थना पत्र

24.03.2026

प्रार्थी/अभियुक्त **अंकित** की ओर से उपरोक्त वर्णित अभियोग में जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त दिनांक 27.02.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है।

जमानत प्रार्थनापत्र के साथ राजकुमार पुत्र धरपाल का शपथपत्र दाखिल किया गया हैं, जिसके अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम नियमित जमानत प्रार्थनापत्र है। प्रस्तुत प्रकरण के सन्दर्भ में वर्तमान में अभियुक्त का अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र किसी न्यायालय में लम्बित नहीं है।

संक्षेप में अभियोजन के अनुसार वादी योगेन्द्र द्वारा थाना हाजा पर इस आशय की तहरीर दी गयी है कि वादी दिनांक 24.02.2026 को अपनी गाडी स्विफट से अपने दोस्त आर्यन, राहुल एवं करन के साथ ग्राम शिमलाना में योगी और रूद्रा के पास मिलने गया था तथा उनसे मिलकर वह अपने तीनों दोस्त के साथ चिराउ वाले रास्ते में वापिस बडगांव आ रहा था तो जब वह शिमलाना बिजली घर के पास पहुंचा तो सामने से निखिल अपनी गाडी स्विफट डिजायर से अपने दो अन्य साथियों के साथ आया, और वादी की कार के सामने टक्कर मार दी, और वादी पर जान से मारने की नीयत से हाथ में लिए कट्टे से गोली चला दी, जिसमें वादी बाल–बाल बचा तथा उसके अन्य साथियों द्वारा अपने हाथों में लिए लाठी से वादी के साथ मारपीट की, जिसमें वादी के दोस्त आर्यन को चोट आयी हैं तथा विपक्षीगण, वादी की गाडी का शीश तोडकर भाग गए। अतः कानूनी कार्यवाही किए जाने की याचना की गयी।

वादी की उक्त तहरीर के आधार पर थाना पर यह अभियोग अभियुक्त निखिल के विरूद्ध पंजीकृत कर मामले की विवेचना प्रारम्भ की गयी तथा दौरान विवेचना आवेदक/अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान तथा राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्को को सुना गया।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से मुख्य रूप से यह बहस की गयी कि वे निर्दोष हैं, उसे इस मामले में रंजिश के आधार पर झूठा आलिप्त किया गया है। प्रार्थी का उक्त घटना से किसी प्रकार का कोई मतलब व वास्ता नही है। प्रार्थी के विरूद्ध उक्त धाराओं का कोई अपराध नहीं बनता है। प्रार्थी प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नही है। वादी को किसी प्रकार की कोई चोट नही आयी है, सभी फर्जी चोटे दिखायी गयी हैं। प्रार्थी से किसी प्रकार की कोई बरामदगी नही हुई है, कथित बरामदगी झूठी एवं फर्जी है। प्रार्थी को उक्त मामले में मात्र सहअभियुक्त के बयान के आधार पर झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी दिनांक 27.02.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। अतः प्रार्थी को जमानत पर रिहा किया जाये।

राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए, जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने की याचना की है।

थाने से प्राप्त आख्या एवं समस्त केस डायरी का अवलोकन किया। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर जान से मारने की नीयत से वादी एवं वादी के दोस्तो के साथ डंडे से मारपीट करने तथा सहअभियुक्त निखिल को वादी

के उपर गोली चलाने के लिए उकसाने एवं वादी की गाडी का शीशा क्षतिग्रस्त करने आक्षेप है। प्रस्तुत मामले की घटना के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट सहअभियुक्त निखिल एवं एक अन्य अज्ञात के विरूद्ध दर्ज करायी गयी है। दौरान विवेचना आवेदक/अभियुक्त का नाम इस मामले में प्रकाश में आना अभिकथित है। केस डायरी पर उपलब्ध आहत आर्यन की चिकित्सीय परीक्षण आख्या में आहत की दांयी हथेली में लेस्सरेटिड वून्ड की एक चोट, नीचे वाले होंठ पर लेस्सरेटिड वून्ड की एक चोट आना एवं उसके ऊपर के दोनो दांतों में लूजनेस होना तथा आहत की उपरोक्त चोटे साधारण प्रकृति की होना अभिलिखित है। केस डायरी पर अंकित वादी द्वारा अपने बयान में आवेदक/अभियुक्त एवं अन्य सहअभियुक्तगण द्वारा वादी पर हमला करते हुए, सहअभियुक्त निखिल को गोली चलाने के लिए उकसाने का कथन किया गया है, परन्तु केस डायरी के अनुसार वादी अथवा अन्य किसी व्यक्ति को आग्नेयास्त्र की कोई चोट आना दर्शित नही है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 27.02.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। अभियोजन की ओर से आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार है। तद्नुसार जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **अंकित** की ओर से उपरोक्त वर्णित अभियोग में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा अंकन 40,000/–रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान राशि का एक विश्वसनीय प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के दाखिल करने पर, उसे निम्न शर्तो के अधीन अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करने पर उपरोक्त अभियोग में जमानत पर रिहा किया जाए।

1. मामले के प्रत्येक सुनवाई पर आवेदक/अभियुक्त स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।
2. आवेदक/अभियुक्त, आरोप विरचन के समय तथा बयान अन्तर्गत धारा 351 बी0एन0एस0एस0 के अभिलिखित होने के समय अथवा न्यायालय द्वारा अपेक्षा किए जाने पर न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।
3. साक्षीगण के उपस्थित आने पर आवेदक/अभियुक्त कोई स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा।
4. आवेदक/अभियुक्त साक्षीगण को किसी प्रकार से उत्प्रेरित अथवा भयभीत नहीं करेगा।

उपरोक्त शर्तो के भंग होने पर न्यायालय द्वारा उनके विरूद्ध विधि सम्मत आदेश पारित किया जाए।

दिनांकः–24.03.2026

(सतेन्द्र कुमार)
सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर।
J.O. CODE- UP 1891